रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 1990/चैत्र 21, 1912
No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 1990/CHAITRA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1990

विदेश यात्रा कर

सा. का. नि. 443 (अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत की यात्रा पर आने वाले मलेशिया के विदेश मंत्री महामहिम दातो अबू हसन उमर और

मलेशियाई विदेश कार्यालय के एरिया विभाग के अध्यक्ष श्री कादरेदीन के भारत के बाहर किसी स्थान को उनकी अन्तरराष्ट्रीय यात्रा की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1990 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 14/एफ. टी. टी./90—फा. सं. 306/15/90—एफ. टी. टी.]

पी. के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1990

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 443(E)—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempt H.E. Dato Abu Hassan Omar, Minister of Foreign Affairs of Malaysia and Mr. Kader Deen, Head of Asia Deptt. of the Malaysian Foreign Office on their visit to India, from payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act, in respect of their international journey to any place outside India at the end of the said visit.

2. The notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th April, 1990.

[No. 14/FTT/90-F. No. 306/15/90-FTT.]

P. K. JAIN, Under Secy.